न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 19/2017 (223 आर0टी0एक्ट0)

उनवान

चेला उर्फ धनीराम पुत्र श्री हकली जाति जाट निवासी झारकई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. मोती
2. उदयराम
3. शिवराम
4. कुंवर सिंह
5. किशन सिंह

पिसरान श्री लौहरे अकवाम जाट नि0 झारकई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

6. विस्सो वेवा लौहरे
7. गंगा पुत्री लौहरे पत्नि श्रीरामहंस जाति जाट निवासी बरौलीरान तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. जमुना पुत्री लौहरे पत्नि श्री प्रहलाद जाति जाट साकिन बरौलीरान तहसील नदबई जिला भरतपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील संख्या :– 20/2017 (223 आर0टी0एक्ट0)

उनवान

चेला उर्फ धनीराम पुत्र श्री हकली जाति जाट निवासी झारकई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

बनाम

1. मोती
2. उदयराम
3. शिवराम
4. कुंवर सिंह
5. किशन सिंह

पिसरान श्री लौहरे अकवाम जाट नि0 झारकई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

6. विस्सो वेवा लौहरे
7. गंगा पुत्री लौहरे पत्नि श्रीरामहंस जाति जाट निवासी बरौलीरान तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. जमुना पुत्री लौहरे पत्नि श्री प्रहलाद जाति जाट साकिन बरौलीरान तहसील नदबई जिला भरतपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिए पैरोकार सरकार।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 05.02.2001 प्रकरण संख्या 175/86 उनवान लौहने बनाम चेला 07/94 (370/86) उनवानी चेला बनाम लौहरे न्यायालय सहायक कलकटर, नदबई।

उपस्थित :–

1. श्री दुलीचन्द शर्मा एडवोकेट अपीलाण्ट ।
2. श्री पंकज कुमार एडवोकेट रैस्पो0 ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक :—24.11.2017

1. यह दोनों अपीलें इस न्यायालय में सहायक कलक्टर, नदबई के निर्णय दिनांक 05.02.2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। चूंकि दोनों अपीलो के तथ्य व पक्षकार एक ही हैं, इसलिए दोनों अपीलों को एक ही निर्णय से निस्तारित किया जा रहा है। निर्णय की एक—एक प्रति दोनों पत्रावलियों में शामिल की जावें।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वाद सख्या 175/86 अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0/वादीगण ने एक दावा बाबत् इस्तकरार हक व हुक्म इम्तनाई दवामी विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी कुल किता 23 रकवा 13 बीघा 11 विस्वा वाके ग्राम झारकई तहसील नदबई में स्थित है। जिस पर रैस्पो0/वादीगण का संवत 2012 से पूर्व कब्जा काश्त एवं बहैसियत खातेदार काश्तकार चला आ रहा है तथा इस समय भी रैस्पो0/वादीगण का ही कब्जा है। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट/प्रतिवादी का कभी कोई संबंध सरोकार नहीं रहा एवं ना ही कभी काश्त की है। संवत 2024—26 तक इन्द्राज खातेदारी रैस्पो0/वादीगण के नाम ही थे। किन्तु तहसील नदबई में बन्दोबस्त का कार्य शुरू हुआ तो, बन्दोबस्त विभाग से साज कर अपीलाण्ट/प्रतिवादी ने सवंत 2028 में बिना रैस्पो0/वादीगण की जानकारी में लाये विवादित आराजी के इन्द्राजात खातेदारी अपने नाम अंकन करा लिये, जबकि काश्त रैस्पो0/वादीगण करते रहे हैं। इन गलत इन्द्राजो को दुरूस्त कराकर अपने नाम खातेदारी दर्ज करा पाने का रैस्पो0/वादीगण अधिकारी है। अतः वाद प्रस्तुत कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

3. दूसरा वाद संख्या 07/94(370/86) अपीलाण्ट/वादी द्वारा उन्हीं खसरा नम्बरान को लेकर बाबत् इस्तकरार हक एवं हुक्म इम्तनामी विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि अपीलाण्ट/वादी एवं रैस्पो0/प्रतिवादीगण के पिता हकली व लौहरे खास भाई—भाई हैं। हकली की मृत्यु दावा दायरी के वक्त से लगभग 37—38 साल पूर्व हो चुकी है, जिसका एक मात्र वारिस पुत्र अपीलाण्ट/वादी चेला है। अपीलाण्ट/वादी लगभग 18—20 वर्षो से रैस्पो0/प्रतिवादीगण से अलग रहकर अपना खाना—पीना बनाता है। परन्तु विवादित आराजी को अपीलाण्ट/वादी व रैस्पो0/प्रतिवादीगण साथ—साथ काश्त करते हैं। विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है, जिसमें अपीलाण्ट/वादी एवं रैस्पो0/प्रतिवादीगण वहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हैं। चूंकि अपीलाण्ट/वादी अकेला है एवं रैस्पो0/प्रतिवादीगण कई भाई हैं। अतः अपीलाण्ट/वादी को शामलात काश्त करने में परेशानी होती है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का बॅटवारा किया जाकर अपीलाण्ट/वादी को उसके 1/2 हिस्से पर काबिज फरमाये जाने एवं उसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किये जाने का निवेदन किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनों वाद कन्सोलिडेट किये जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से, वाद संख्या 175/86 उनवान लौहरे बनाम चेला डिक्री कर दिया एवं वाद संख्या 07/94 उनवान चेला बनाम लौहरे खारिज कर दिया। उक्त दोनों निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.02.2001 के विरूद्ध, वर्तमान दोनों अपीलें क्रमशः 19/2017 तथा 20/2017 उनवान चेला बनाम मोती प्रस्तुत हुई हैं।

5. अपीलें प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों को तलब किया गया। दोनों पक्षों के अधिवक्तागणो की बहस सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अपीलाण्ट का पालन पोषण व शादी लौहरे ने ही की है। संवत 2012 तक खातेदारी के इन्द्राज अपीलाण्ट के नाम चले तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के बाद सम्पूर्ण आराजी लौहरे के नाम दर्ज कर दी तथा संव 2028 में लौहरे ने अपनी सहमति देते हुए निस्फ हिस्से की खातेदारी अपीलाण्ट के नाम करा दी। अपीलाण्ट जन्म से ही अपनी आराजी पर काबिज है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर ना करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। विवादित आराजी दयौली के नाम थी एवं दयौली के दो पुत्र हकली व लौहरे थे। अपीलाण्ट हकली का बेटा है। हकली की मृत्यु के समय अपीलाण्ट की आयु 3–4 वर्ष की थी तथा आराजी के खातेदारी इन्द्राज नाबालिगी में अपीलाण्ट के नाम आ गये। रैस्पो0 ने अपीलाण्ट की नाबालिगी का फायदा उठाते हुए, सम्पूर्ण आराजी के इन्द्राज खातेदारी अपने नाम करा लिये। नाबालिग की भूमि पर दर्ज इन्द्राजात नल एण्ड बॉठड हैं। विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी को पैतृक सम्पत्ति नहीं मानते हुए, अपीलाण्ट/ वादीगण का दावा खारिज करने में कानूनी भूल की है। अपीलाण्ट को अपनी पैतृक सम्पत्ति पर विभाजन का दावा बिना घोषणा की रिलीफ मॉगे भी विभाजन कराने का अधिकार है। बन्दोबस्त विभाग में दी गई सहमति रैस्पो0 का दाखिला है, जो चेला को खातेदार मानती है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट के इन्द्राजात निरस्त नहीं किये जा सकते हैं एवं ना ही उसे घोषणा का दावा लाने को बाध्य किया जा सकता है। रैस्पो0 के अवैध इन्द्राजों की कोई अहमियत नहीं है व उनके आधार पर उसे खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आर0एल0आर0 1984 पेज 995(डी0बी), ए0आई0आर0 1966(एस0सी0) पेज 828, आर0आर0डी0 1977 पेज 233, 1984 पेज 712, 42, 862, 1982 पेज 158(डी0बी0), 1980 पेज 160(डी0बी0), 1963 पेज 250 (डी0बी0), 1999 पेज 55, आर0एल0डब्ल्यू 1976 पेज 201, आर0आर0टी0 2006(सप्ली0) पेज 466 का हवाला देते हुए लिखित बहस भी प्रस्तुत करते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 05.02.2001 अपास्त किये जाकर अपीलाण्ट के हक में डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधीवक्ता रैस्पो0 ने जवावी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित आराजी संवत 2012 से पूर्व से ही रैस्पो0 मोती वगै0 के पिता लौहरे के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। जिस पर लौहरे शुरू से अपने देहान्त होने तक वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करता रहा है। अपीलाण्ट चेला का विवादित आराजी पर आज तक कोई कब्जा और ना ही कोई सरोकार रहा है। परन्तु संवत 2028 में तहसील नदबई में बन्दोबस्त होने पर अपीलाण्ट चेला ने बन्दोबस्त कर्मचारियों से साज करके निष्फ हिस्से की खातेदारी अपने नाम दर्ज करा ली तथा रैस्पो0 के नाम केवल निष्फ हिस्सा की खातेदारी रह गई। जबकि बन्दोबस्त विभाग को किसी भी व्यक्ति की खातेदारी की भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति की खातेदारी दर्ज करने का कोई अधिकार व कोई क्षेत्राधिकार किसी कानून के तहत प्राप्त नहीं है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा की गई कार्यवाही क्षेत्राधिकार से बाहर एवं खिलाफ कानून है, जिसके आधार पर अपीलाण्ट चेला को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। विवादित आराजी 13 बीघा 11 विस्वा में से करीब 06 बीघा आराजी तो स्वयं रैस्पो0

Web Copy - Not Official

लौहरे की स्वःअर्जित आराजी है, जो संवत 2012 मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने पर रैस्पो0 लौहरे की खुदकाश्त में थी। रैस्पो0 लौहरे ही संवत 2012 से लगातार आज तक वहैसियत काबिज काश्त करता चला आ रहा है एवं यह तथ्य रैस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक गवाहान के द्वारा बखूबी साबित किया है। संवत 2012 से विवादित आराजी का रैस्पो0 लौहरे की खुदकाश्त में दर्ज होने एवं फिर संवत 2012 मे खातेदारी अधिकार प्राप्त हाने से डेट ऑफ वेस्टिंग पर जिसका कब्जा होता है, उसे ही खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हैं। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा केवल संवत 2028 में बन्दोबस्त विभाग द्वारा किये गये इन्द्राजों के आधार पर ही किया है जो कि कानूनन बिना क्षेत्राधिकार के है एवं नलटी है। अपीलाण्ट द्वारा कही भी रैस्पो0 के नाम संवत 2012 से 2028 तक समस्त भूमि में हो रही खातेदारी इन्द्राज को चैलेन्ज नहीं किया गया है। अपीलाण्ट ने बन्दोबस्त विभाग द्वारा किये गये गैर कानूनी इन्द्राजों के आधार पर धारा 53 के तहत दावा पेश किया है। अगर अपीलाण्ट यह मानता था कि संवत 2012 से रैस्पो0 के नाम पूरी आराजी के इन्द्राज खातेदारी गलत थे तो उसको अपने नाम 1/2 हिस्से की खातेदारी दर्ज करने के लिए डिक्लेरेशन का दावा पेश करना चाहिये था, जो उसने पेश नहीं किया। अतः अपीलाण्ट का दावा, बिना किसी घोषणा के मैन्टेनेबिल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचना की जाकर, अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि अनुरूप सही है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आर0आर0डी0 1969 पेज 231, 1973 पेज 31, 1980 पेज 48, 1983 पेज 64, 364, 1985 पेज 342, 1981 पेज 651, 1994 पेज 761, 1996 पेज 457, 1992 पेज 117, 1994 पेज 604, 1991 पेज 492, 1977 पेज 233(एल0बी0) 1977 पेज 95, ए0आई0आर0 1969 राज0 पेज 219, 1974(एस0सी0) पेज 471 का उद्धरण पेश किया साथ ही लिखित बहस भी प्रस्तुत करते हुए, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

8. हमने पत्रावलियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट विवादित आराजी को पैत्रिक सम्पत्ति बताते हुए, संवत 2028 में बन्दोबस्त विभाग द्वारा किये गये स्वयं के इन्द्राजों के आधार पर विवादित आराजी के बॅटवारा का दावा करता हैं। रैस्पो0 उक्त तथ्य का खण्डन करते हुए, स्वयं को संवत 2012 के पूर्व से काबिज खातेदार काश्तकार बताते हुए, अपीलाण्ट के इन्द्राजों को बन्दोबस्त विभाग की साज से अवैध दर्ज किया जाना कथन करते हैं। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनों दावों को कन्सोलिडेट किया जाकर दावे एवं जवाब दावे के आधार पर दादरसी सहित 8 तनकियॉ कायम की गई हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी तनकियों को तय करते समय, प्रत्येक तनकी पर कारण सहित उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर, अपना निष्कर्ष अंकित करते हुए, अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। हम पाते हैं कि यदि अपीलाण्ट सम्पूर्ण विवादित आराजी में संवत 2012 से लौहरे के इन्द्राज खातेदारी को गलत मानता है, तो उन्हें अपने नाम 1/2 हिस्से की खातेदारी दर्ज कराने के लिए डिक्लेरेशन का दावा पेश करना चाहिए था। किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। विवादित आराजी में बिना घोषणा के, अपीलाण्ट राहत पाने का अधिकारी नहीं है। यह सही है कि अपीलाण्ट वर्तमान में अभिलिखित खातेदार काश्तकार है। परन्तु रैस्पो0 ने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दावे के जवाव में तथा अपने स्वयं के दावे में अभिलिखित इन्द्राजों को चुनौती दी है। अपीलांट को अवसर था कि वह अपने दावें को काउन्टर क्लेम अथवा संशोधन कर घोषणा का अनुतोष प्राप्त करतें। उपरोक्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विवेचनानुसार हम अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। अपीलाधीन निर्णय तनकीवार तार्किक है। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

9. अतः आदेश है कि दोनों अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, नदबई के निर्णय व डिक्र दिनांक 05.02.2001 यथावत रखें जाते हैं। दोनों पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

10. निर्णय आज दिनांक 24.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official